


उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या-799/पाँच-5-2020
लखनऊ दिनांक: अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र संख्या-एन0एच0एस0आर0सी0/20-21/ई0डी0सेक0/कोविड-19/05, दिनांक 28.03.2020 के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर एवं सुरक्षाप्रद उपचार के लिए प्रदेश के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को एतद्वारा डेडिकेटेड "कोविड-19" चिकित्सालय अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	निजी चिकित्सालय	लेवल	शैय्या की संख्या	वैन्टीलेटर की सं0
1	जे0पी0 हास्पिटल, चिरचिटा, जनपद- बुलन्दशहर	2	45	5
2	जे0पी0 हास्पिटल, अनूपशहर जनपद- बुलन्दशहर	1	35	0

2- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर उपरोक्त निजी चिकित्सालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित लेवल के अनुसार डेडिकेटेड "कोविड-19" चिकित्सालय के रूप में उपचार हेतु समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।



(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।


संख्या-799(1)/पाँच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, मण्डल मेरठ।
2. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।


06/04/2020